

**मांग संख्या 55**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1 से 2**

नवगठित 9 जिलों में जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालयों की स्थापना हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के सृजन पर राशि ₹ 17.24 लाख का व्यय संभावित है।

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	09	15600-39100	5400
2.	सहा. ग्रेड-2	09	9300-34800	2400
3.	सहा. ग्रेड-3	09	5200-20200	1900
4.	भूत्य	09	4750-7440	1300
5.	चौकिदार	09	4750-7440	1300
<b>योग</b>			<b>36</b>	

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 5**

1. एकीकृत बाल विकास सेवा योजनांतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप राशि ₹ 11750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
2. एकीकृत बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत फर्नीचर, बर्तन, कम्प्यूटर सह उपकरण, रेसियोग्राफ, ए.सी. क्रय पर राशि ₹ 83.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 117,50,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 से 7**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजनांतर्गत अशासकीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर राशि ₹ 417.30 लाख एवं अशासकीय संस्था विश्वास एवं राहा द्वारा संचालित 02 बाल विकास परियोजनाओं पर राशि ₹ 205.00 लाख, कुल राशि ₹ 622.30 लाख का व्यय संभावित है। उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 200 के अनुपूरक अनुदान में आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण अंतर्गत राज्य महिला संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु राशि ₹ 16.38 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 से 10**

राज्य महिला आयोग योजनांतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु राशि ₹ 2.00 लाख अतिरिक्त व्यय एवं “चलो गांव की ओर” कार्यक्रम हेतु राशि ₹ 13.25 लाख का व्यय इस प्रकार कुल राशि ₹ 15.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 15,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत राशि ₹ 168.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।